न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 38/2018 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री भंवरलाल स्वर्णकार पूर्व चेयरमेन निवासी माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा ––अपीलार्थी	**बनाम**	सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार माण्डलगढ ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 12/06/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार माण्डलगढ के विरूद्ध दिनांक 28.03.2018 को जरिये डाक अपील प्रेषित कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 28/03/2018 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/–रूपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या 40 एफ 916522 संलग्न कर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार माण्डलगढ से सूचना चाही गई परन्तु नियत समय सीमा व्यतीत हो जाने पर भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 28.03.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ संलग्न कर जरिये डाक प्राप्त हुई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 11/05/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार माण्डलगढ से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक 1490–91 दिनांक 28.05.2018 को प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जिसकी अपीलार्थी को प्राप्ति रसीद दिनांक 31.05.2018 की दिनांक 11.06.2018 को जरिये डाक प्राप्त हुई। प्रत्यर्थी प्रतिनिधि भी उपस्थित जिसके द्वारा निवेदन किया कि अपीलार्थी के आवेदन में अंकित 9 बिन्दुओं में से 4 बिन्दुओं की सूचना तैयार की जा चुकी थी जिसकी सूचना अपीलार्थी को दिनांक 24.04.2018 को ही दे दी गई जिसकी प्रति संलग्न है। बिन्दु संख्या 1 से लगायत 4 की सूचना पटवारी हल्का के द्वारा तैयार की जा चुकी थी तथा अपीलार्थी को राशि जमा कराने हेतु सूचित किए जाने पर भी न तो अपीलार्थी ने पटवारी हल्का माण्डलगढ से सम्पर्क ही किया एवं न ही विधिवत शुल्क ही जमा कराया। अन्य बिन्दुओं की सूचना प्रश्नवाचक व अस्पष्ट होने

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

से उपलब्ध नहीं कराई जाने हेतु अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। इस प्रकार सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जाने से अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी अनुपस्थित एवं प्रत्यर्थी को सुना गया। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 28.03.2018 को प्राप्त हुआ जिसमें दर्ज 09 बिन्दुओं की सूचना चाही गई। उक्त 09 बिन्दुओं में से 4 बिन्दुओं की सूचना पटवार हल्का माण्डलगढ से सम्बन्धित थी जिसको तैयार कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार माण्डलगढ ने अपने पत्रांक/भू0अ0/2018/1044–45 दिनांक 11.04.2018 से लिखा गया। उक्त पत्र की प्रति अपीलार्थी को दिनांक 24.04.2018 को उपलब्ध कराई जिसकी प्राप्ति रसीद पत्रावली में प्रत्युत्तर के साथ प्रस्तुत की गई। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आवेदन दिनांक 28.03.2018 से नियत अवधि 30 दिवस से पूर्व ही अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1 से लगायत 4 की सूचना नियमानुसार राशि पटवारी हल्का माण्डलगढ के पास जमा करा प्राप्त करें शेष 5 से 9 बिन्दु प्रश्नात्मक एवं अस्पष्ट होने से दिया जाना संभव नहीं होने के सम्बन्ध में अपीलार्थी को दिनांक 24.04.2018 को सूचित किया परन्तु अपीलार्थी के द्वारा लिखित में खण्डन प्रस्तुत किया जो जरिये डाक दिनांक 30.05.2018 को प्राप्त हुआ। स्वयं ने लिखा कि वह राशि जमा कराने को तैयार है जबकि अपीलार्थी को इस सम्बन्ध में दिनांक 24.04.2018 को सूचित कर दिया परन्तु न तो उसके द्वारा पटवारी हल्का माण्डलगढ से सम्पर्क किया न राशि जमा कराई है। अन्य प्रत्युत्तर का सम्बन्ध उक्त अपील से सम्बन्धित नहीं है। प्रत्यर्थी की ओर से अपीलार्थी को राशि जमा करा नियत अवधि में सूचित कर दिया गया ऐसी स्थिति में उक्त अपील सारहीन है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार माण्डलगढ को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 12/06/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा